फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ राज॰

पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

प्रकरण सख्या 07/2025

ज्ञानचन्द पिता केसरीमल बनाम धर्मेन्द्रकुमार पिता कैलाशचन्द्र महाजन वगै.

निवासी नन्दवाई तह0 बेंगू नन्दवाई तह0 वेंगू

हा.मु.नीमच सीटी

उपस्थित ::– मुरलीधर शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी
अनुपस्थित विपक्षीगण

आदेश प्रा.पत्र अ.धा. 136 लेण्ड.रे.एक्ट.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख से जारी हुए
04.02.2026	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण मे वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अ.धा. 136 लेण्ड.रे.एक्ट. पर उभय पक्ष कि बहस सूनी गई वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि मौजा नन्दवाई प.ह. नन्दवाई के खाता संख्या 60 आराजी संख्या 1221, 1222, 1257, 1258, 1314मी, 1316, 833, 835, कुल किता –08 कुल रकबा 1.2200 है0 भूमि मे प्रार्थी के पिता केशरीमल की मृत्यु के पश्चात वर्ष 2007 मे मृत्यु के पश्चात विरासत का नामांतरण खोलते समय राजस्व कर्मचारियों की गलती से बिना तथ्यों कि जानकारी किये राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम "ज्ञानचंद जैन" के बजाय ज्ञानमल गलत अंकित कर दिया जिससे प्रार्थी को राजकिय सेवाओ का लाभ नही मिल पा रहा है। प्रार्थी ज्ञानचंद के नाम से जारी सरकारी विभिन्न दस्तावेजात राशनकार्ड, आधारकार्ड, जन आधारकार्ड, पैनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, भामाशाह कार्ड, गैस कनेक्शन डायरी आदि में प्रार्थी का नाम ज्ञानचंद जैन अंकित है। लेकिन राजस्व कर्मचारीयों द्वारा राजस्व अभिलेख मे प्रार्थी का नाम ज्ञानमल गलत अंकित कर दिया है। प्रार्थी को ज्ञानचंद जैन एवं ज्ञानमल दोनो नाम से जाना जाता है। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा नन्दवाई प.ह. नन्दवाई के खाता संख्या 60 आराजी संख्या 1221, 1222, 1257, 1258, 1314मी, 1316, 833, 835, कुल किता –08 कुल रकबा 1.2200 है0 भूमि के राजस्व रेकार्ड मे गलत रूप से अंकित हुए ज्ञानमल नाम के बजाय जरिये शुद्धीकरण के "ज्ञानचंद जैन" नाम अंकित कराये जाने का आदेश फरमाया जावे। इस पर तहसीलदार बेंगू ने अपनी बहस जवाब प्रा.पत्र अनुसार करते हुए इस प्रकार से निवेदन किया है कि रिपोर्ट भू. अभिलेख निरिक्षक, पटवारी अनुसार ज्ञानमल ही ज्ञानचंद है। प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सूना गया एवं प्रकरण मे प्रस्तुत सरकारी विभिन्न दस्तावेजात आधारकार्ड, पैनकार्ड, बैंक डायरी आदि में प्रार्थी का नाम ज्ञानचंद जैन पिता केशरीमल निवासी वार्ड न. 4 नीमच अंकित है। प्रकरण मे प्रस्तुत सभी दस्तावेजात व तहसीलदार बेंगू के जवाब प्रा.पत्र का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है । अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र अ.धा.136लेण्ड.रे.एक्ट.का स्वीकार किया जाता है तहसीलदार बेंगू को मौजा नन्दवाई प.ह. नन्दवाई के खाता संख्या 60 आराजी संख्या 1221, 1222, 1257, 1258, 1314मी, 1316, 833, 835, कुल किता– 08 कुल रकबा 1.2200 है0 भूमि के राजस्व रेकार्ड मे गलत रूप से अंकित हुए ज्ञानमल नाम के बजाय जरिये शुद्धीकरण के "ज्ञानचंद जैन" नाम अंकित कराये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश कि प्रति तहसीलदार बेंगू को पालनार्थ दि जावे। आदेश आज दिनांक 04.02.2026 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया। (अंकित सामरिया) उपखण्डअधिकारी, बेगूँ जिला चितौडगढ़	

क्रमांक/सरिश्ता/2026/87 दिनांक :– 13.2.26

प्रार्थना पत्र संख्या 07/2025 व अनवान ज्ञानचंद बनाम धर्मेन्द्रकुमार वगै. प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर.एक्ट. में आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

उपखण्डअधिकारी,
बेगूँ जिला चितौडगढ